कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश।

परिपत्र– C-8 /विधि–निर्वा0/निबन्धन लखनऊ दिनांकः 11 अगस्त, 2023

1. समस्त जनपदीय, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय उप आयुक्त एवं उप निबन्धक/
संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक
सहकारिता उ0प्र0।

विषयः– बहु–उद्देश्यीय सहकारी समितियों के निबन्धन के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के परिपत्र सी–18/विधि–विविध दिनॉक 15.09.1998 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा बहु–उद्देश्यीय सहकारी समितियों का निबन्धन न किये जाने के निर्देश दिये गये थे। विभिन्न स्तरों से बहु–उददेश्यीय सहकारी समितियों के निबन्धन के सम्बन्ध में मार्गदर्शन चाहा जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय स्तर पर सहकारिता मंत्रालय के गठन के पश्चात भारत सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की समस्त पैक्स के द्वारा भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित आदर्श उपविधियों का अंगीकरण किया जा चुका है। जिसके फलस्वरुप सभी पैक्स, बहु–उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के रूप में कार्य कर रही हैं। जिनमें खाद, उर्वरक, उन्नत बीज/बीज उत्पादन, सिंचाई सुविधा, कस्टम हायरिंग केन्द्र कृषि मशीनरी/उपकरण भण्डारण(गोदाम व शीतगृह पैकेजिंग बांडिग, विपणन, प्रसंस्करण कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्र जैसे–फसल, फल, सब्जियॉ, पुष्प, डेयरी कार्यकलाप मात्स्यिकी/झींगा खेती, पोल्ट्री, मधुमक्खी पालन रेशम उत्पादन, बागवानी फसल, भेड़, बकरी एवं सुअर पालन आदि क्षेत्र आच्छादित हैं। साथ ही सेवा या व्यवसायिक कार्य जैसे अवसंरचना विकास, सामुदायिक केन्द्र, अस्पताल, जनऔषधि केन्द्र, शैक्षिक संस्थान, एलपीजी/पेट्रोल/डीजल डीलरशिप, सौर ऊर्जा आदि कार्य–कलापों को भी बहु–उददेश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के उददेश्यों में सम्मिलित किया गया है।

वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर बहु–उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के गठन करने की कार्य योजना प्रकियाधीन है एवं बहु–उददेश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) को सुदृढ एवं समृद्ध करने के लिए निरन्तर सहकार मंत्रालय से दिशा निर्देश प्राप्त हो रहे है। ऐसी स्थिति में बहु–उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के अतिरिक्त किसी बहु–उद्देश्यीय सहकारी समितियों का निबन्धन किया जाना बहु–उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के कार्य एवं व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

अतः ऐसी स्थिति में बहु–उद्देश्यीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति(बी–पैक्स) के अतिरिक्त अन्य बहु–उददेशीय सहकारी समिति का निबन्धन प्रतिबन्धित किया जाता है। पूर्व में निर्गत परिपत्र इस सीमा तक संशोधित समझे जायें।

(बी0एल0 मीणा)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

परिपत्र– सी-08 विधि निर्वाचन लखनऊ दिनांकः उक्त।

प्रतिलिपि–अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.समस्त योजनाधिकारी, सहकारिता, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, समस्त सहकारी शीर्ष संस्थॉए, उ0प्र0, लखनऊ।
3.अ0 आयुक्त एवं अ0 निबन्धक(वेबमास्टर) मुख्यालय को विभागीय वेबसाइड पर अपलोड करने हेतु।
4.गार्ड फाइल विधि–निर्वा0 मुख्यालय।

संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक(विधि–निर्वा0)
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।